श्यल जज

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No. 2022/197
दायरा तिथि : 01.06.2022
निर्णय दिनांक : 10-01-23

वादी :–
नाथूसिंह पुत्र लखाजी जाति गुर्जर
निवासी नाना स्टेशन हाल निवासी आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामसिंह पुत्र फुलसिंहजी उर्फ फुलाजी
2. लक्ष्मीबाई पुत्री फुलसिंहजी उर्फ फुलाजी
3. कमलाबाई पुत्री फुलसिंहजी उर्फ फुलाजी फौत के कायम मुकाम वारिशानः
   प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जातिगण गुर्जर निवासीगण नाना स्टेशन तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1.श्री ओम प्रकाश दवे .... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री रमेश कुमार गरासिया .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार, बाली ....पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 10-01-23

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2314 रकबा 6.53 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म जाव दोयम, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2852 रकबा 1.9400 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.9300 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2854 रकबा 1.7800 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2855 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु., खसरा नंबर 2856 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम कुल रकबा 12.95 हैक्टर कुल लगान 244.94 रूपये के सबंध में वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की नेट से निकाली गई प्रति पेश की। प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गरासिया द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 21.12.2022 को वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी की अद्यतन प्रति पेश करते हुये प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 को बेचान के जरिये अन्तरित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. पेश कर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का नाम वाद शीर्षक से डिलिट किये जाने का निवेदन किया। इसके साथ ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से संयुक्त हस्ताक्षर युक्त राजीनामा मय जवाबदावा पेश कर खसरा नंबर 2314 रकबा 6.53 हैक्टर प्रतिवादी के बंट में रखने तथा खसरा नंबर 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856 कुल रकबा 6.42 हैक्टर वादी के बंट में रखते हुये इसी अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत जमाबंदी की अद्यतन प्रति के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में नाथूसिंह पुत्र लखा हिस्सा 1/2 एवं रामसिंह पुत्र फुलसिंह हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर खातेदार दर्ज है, अर्थात् वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या--01 ही सह खातेदार दर्ज है, तथा दोनो ही बहिस्सा बराबर के खातेदार है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 अधिकार अभिलेखों में खातेदार दर्ज नहीं रहने तथा उक्त वाद विभाजन का वाद ही होने से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का नाम वाद शीर्षक से डिलिट किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 स्वयं एवं उनके अधिवक्ता राजीनामा से खसरा नंबर 2314 रकबा 6.53 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–01 रामसिंह के हिस्से बंट में रखने हेतु तथा शेष रही भूमि खसरा नंबर 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856 कुल रकबा 6.42 हैक्टर वादी नाथूसिंह के बंट में रखते हुये इसी अनुसार विभाजन की डिक्री जारी कराये जाने बाबत् सहमत है। अतः वाद वादी माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

पेज लगातार

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 73/2021 Gcms No. 2021/192

अनवान अनिलाकँवर बनाम दिलीपसिंह वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

वादग्रस्त भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2314 रकबा 6.53 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म जाव दोयम, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2852 रकबा 1.9400 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.9300 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2854 रकबा 1.7800 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2855 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु., खसरा नंबर 2856 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम कुल रकबा 12.95 हैक्टर कुल लगान 244.94 रूपये के सबंध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की डिक्री माफिक राजीनामा जारी की जाती है:-

क्र0सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	
01	प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह पुत्र फुलसिंह उर्फ फुलाजी जाति गुर्जर निवासी नाना के हिस्से बंट की भूमि	2314	6.53 हैक्टर	
02	वादी नाथूसिंह पुत्र लखाजी जाति गुर्जर निवासी नाना स्टेशन हाल आबूरोड तहसील आबूरोड के हिस्से की भूमि	2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855,2856	कुल रकबा 6.42 हैक्टर	

प्रस्तुत राजीनामा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिकी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का चामुण्डेरी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

निर्णय आज दिनांक 10-01-23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादी :–

नाथूसिंह पुत्र लखाजी जाति गुर्जर
निवासी नाना स्टेशन हाल निवासी आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामसिंह पुत्र फुलसिंहजी उर्फ फुलाजी
2. लक्ष्मीबाई पुत्री फुलसिंहजी उर्फ फुलाजी
3. कमलाबाई पुत्री फुलसिंहजी उर्फ फुलाजी फौत के कायम मुकाम वारिशानः
   प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जातिगण गुर्जर निवासीगण नाना स्टेशन तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No. 2022/197

अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के अध्ययन व वकुलाय को सुनने के पश्चात् वाद वादीगण माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2314 रकबा 6.53 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म जाव दोयम, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2852 रकबा 1.9400 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.9300 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 2854 रकबा 1.7800 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 2855 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु., खसरा नंबर 2856 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम कुल रकबा 12.95 हैक्टर कुल लगान 244.94 रूपये के सबंध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की डिक्री माफिक राजीनामा जारी की जाती है:–

क्र0सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	
01	प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह पुत्र फुलसिंह उर्फ फुलाजी जाति गुर्जर निवासी नाना के हिस्से बंट की भूमि	2314	6.53 हैक्टर	
02	वादी नाथूसिंह पुत्र लखाजी जाति गुर्जर निवासी नाना स्टेशन हाल आबूरोड तहसील आबूरोड के हिस्से की भूमि	2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855,2856	कुल रकबा 6.42 हैक्टर	

प्रस्तुत राजीनामा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिकी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का चामुण्डेरी को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-01-23 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner